भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1261

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में एनएपीएस

†1261.डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में इस योजना (एनएपीएस) के तहत नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या और वितरित की गई वजीफा सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अल्लूरी सीताराम राजू, बापटला, कोणसीमा और पार्वतीपुरम मान्यम सहित कुछ जिलों में पिछले वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत बहुत कम या शून्य नामांकन दर्ज किए गए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिलों में उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को वित्त वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए विस्तारित किया गया था। एनएपीएस 2.0 के तहत, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वजीफा सहायता का भुगतान प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से की जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 41.69 करोड़ रुपये (जिसमें 40.30 करोड़ रुपये की डीबीटी राशि शामिल है) जारी किए गए। एनएपीएस के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को वर्षवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सरकारी अनुदान राशि में से डीबीटी के माध्यम से वितरित छात्रवृत्ति का सरकारी हिस्सा (करोड़ रुपये में)	
वित्तीय वर्ष 2024-25	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
18.33	**21.97**

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 48,521 प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया गया है। इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं की जिलावार और वर्षवार सूची तथा जारी की गई धनराशि (डीबीटी के माध्यम से) **अनुबंध के तालिका I** में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस) के तहत शिक्षुता कार्यक्रम पात्र प्रतिष्ठानों की उपलब्धता और औद्योगिक गतिविधि के आधार पर जिलों में भिन्न-भिन्न होते हैं।

शिक्षुता अधिनियम, 1961 प्रतिष्ठानों को अपने प्रशिक्षण अवसंरचना और कार्यस्थल सुविधाओं का उपयोग से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के तहत, चार या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान शिक्षुओं को नियुक्त करने के पात्र हैं, जबकि तीस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य है।

कम नामांकन वाले जिलों में शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकार क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालयों (आरडीएसडीई) और अन्य हितधारकों के माध्यम से जागरूकता अभियान, नियोक्ताओं तक पहुंच और उम्मीदवारों को जुटाने की गतिविधियां चला रही है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं और युवाओं के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए जून 2022 से देशभर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर नियमित रूप से पीएमएनएएम आयोजित करने की सलाह दी गई है। एनएपीएस के तहत शिक्षुता के अवसर अल्लूरी सीताराम राजू, बापटला, कोनासीमा और पार्वतीपुरम मन्यम सहित सभी जिलों में सहभागी प्रतिष्ठानों के माध्यम से उपलब्ध हैं, और शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रतिष्ठानों और युवाओं दोनों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुबंध

आंध्र प्रदेश में एनएपीएस के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1261 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका I: आंध्र प्रदेश राज्य को एनएपीएस-2 के तहत नियुक्त प्रशिक्षुओं और जारी की गई धनराशि का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र मां क	ज़िला	एनएपीएस के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या		डीबीटी के माध्यम से संवितरित वजीफा (करोड़ रुपये में)	
		वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25*	वित्त वर्ष 2025-26*
1.	अल्लूरी सीतारामा राजू	-	6	0.1	0.14
2.	अनकापल्ली	98	170	0.35	0.5
3.	अनंतपुरमु	4,164	5,568	1.37	1.32
4.	अन्नमय्या	58	57	0.28	0.43
5.	बापतला	67	82	0.21	0.28
6.	चित्तूर	3,674	3,184	1.47	1.58
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	74	71	0.18	0.28
8.	पूर्वी गोदावरी	536	953	1.43	1.72
9.	एलुरु	261	597	0.32	0.36
10.	गुंटूर	506	623	1.11	1.17
11.	काकीनाडा	762	708	0.51	0.69
12.	कृष्णा	1,016	1,348	1.09	1.13
13.	कर्नूल	165	304	1.24	1.29
14.	नंद्याल	81	111	0.33	0.4
15.	एनटीआर	757	684	0.61	0.66
16.	पलनाडु	54	84	0.18	0.27
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	9	43	0.11	0.19
18.	प्रकाशम	104	157	0.65	0.82
19.	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	380	554	0.44	0.7
20.	श्री सत्य साई	1,711	1,847	0.46	0.55
21.	श्रीकाकुलम	560	675	0.86	1.19
22.	तिरुपति	2,451	3,197	1.19	1.22
23.	विशाखापत्तनम	2,951	3,036	1.1	1.27
24.	विजयनगरम	210	295	0.82	0.94
25.	पश्चिम गोदावरी	257	307	0.85	0.97
26.	वाई.एस.आर.	1,169	1,785	1.07	1.9
	कुल	**22,075**	**26,446**	**18.33**	**21.97**

*इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त प्रशिक्षुओं को किए गए डीबीटी भुगतान शामिल हैं।
